न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 59 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट   **बनाम**   **रेस्पोडेंटगण**

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. कानाराम पुत्र गोडाराम	1. गिरधारीराम पुत्र जेरूपाराम
2. गीगी पत्नी गोडाराम	2. गाधाराम पुत्र जेरूपाराम
3. जोईताराम पुत्र गोडाराम	3. उदाराम पुत्र जेरूपाराम
4. झीणाराम पुत्र गोडाराम	4. काछबाराम पुत्र हकाराम का.मु.
5. तलाराम पुत्र सागताराम	4/1नेमाराम पुत्र काछबाराम
6. धूंकाराम पुत्र गोडाराम	4/2अशोक पुत्र काछबाराम
7. मंगलाराम पुत्र गोडाराम	4/3जबराराम पुत्र काछबाराम
8. खेखी कुमारी पुत्री हड़मताराम	4/4सुकी देवी पत्नी काछबाराम
9. नेनूदेवी पत्नी हड़मताराम	5. हरीराम पुत्र हकाराम
10. पुंजाराम पुत्र हड़मताराम	6. राजुराम पुत्र कपुराराम
11. भटाराम पुत्र हड़मताराम	7. पारसराम पुत्र कपुराराम
12. हरसनराम पुत्र हड़मताराम अपीलांट संख्या 08 व 11 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता नेनू देवी पत्नी हड़मताराम जाति रबारी निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	8. कालीदेवी पत्नी कपुराराम जाति मेगवाल निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
13. केगो देवी पत्नी धुंकाराम जाति कुम्हार निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	9. गेबाराम पुत्र खीमारा
	10. जैसाराम पुत्र खीमाराम
	11. दीपाराम पुत्र खीमाराम
	12. चुनाराम पुत्र खीमाराम
	13. मुलाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
	14. पुरखाराम पुत्र गिरधारीराम जाति कुम्हार निवासी भाटा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
	15. मैनेजर एस.बी.आई शाखा पादरू
	16. राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2018 बअनवान गिरधारीराम बनाम गेबाराम में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पदमाराम जयपाल रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 31.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा ईवाया पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना में स्थित खसरा नम्बर 1015 रकबा 119.05 बीघा किस्म धोरा में आवागमन हेतु रास्ता बदिशा उतर में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1879/1011, 1878/1011, 1009 के माठ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सड़क मार्ग तक जाता है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट संख्या 13 की तामील नहीं हुई, न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में तामीली बताई गई। अपीलांटगण के नोटिस पर तामिल कुनिन्दा सवार ने अपीलांटगण द्वारा नोटिस लेना इंकार अंकित किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सवार की स्वयं द्वारा परीक्षा नहीं की और न ही उक्त सवार से उसका शपथ–पत्र ही ऐसी तामिली बाबत प्राप्त किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश 05 नियम 17 व 19 सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब कर दी गई जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 से 08 से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जबकि अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। अपीलांट संख्या 08 खेखी, अपीलांट संख्या 12 हरसन नाबालिग है जिसके विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। नाबालिग के हितो के सरंक्षण व पैरवी हेतु वादमित्र/संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि पर अपीलांटगण के रहवासी घर बने हुए है तथा मौके पर खाली नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2018-19(Supp.) Page 576
RRT 2018-19(Supp.) Page 186
RRT 2018-19(Supp.) Page 404
RRT 2016-17(Supp.) Page 677
RRT 2019(2) Page 1543
RRT 2019(1) Page 403
RRT 2016(1) Page 649
RRT 2018-19(Supp.) Page 342

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को नोटिस जारी किये गये जो नोटिस अपीलांटस को प्राप्त नहीं हुए तथा न ही सम्मन अपीलांटगण से व्यक्तिगत तामील हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अभी उतरदातागण द्वारा हल्का पटवारी के जरीये मौका पर रास्ता कायम करने की कोशिश की गई, तब सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलांटगण के खेत में से रास्ता कायम कर दिया गया, जिस पर अपीलांटगण के द्वारा वकील नियुक्त की प्रकरण की जांच करवाई जाकर दिनांक 15.07.2021 को नकले मांगी गई जो उसी दिन तैयार होकर प्राप्त हुई। नकल मिलने तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण/विप्रार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील सुदीर्घ अवधि पश्चात पेश की गई तथा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपील को अन्दर में लाने की कार्यवाही की गई। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन पर सम्यक तामील नहीं होने का कथन किया गया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन की परत से यह साबित होता है कि अपीलांटगण के नाम सम्मन भिजवाये गये जो तामील की तारीफ में आते है। इसलिए अपीलांट का उपरोक्त आधार निराधार है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्तावित रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 19.09.2019 में स्पष्ट किया गया है कि "प्रार्थीगण की ओर से चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन हेतु अन्य कोई कटाण रास्ता/सड़क नहीं है। व ना ही कोई मुरड़ डाला गया सड़क है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2018 वउनवान गिरधारीराम बनाम गेवाराम में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(प्रतिभा विलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर